

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 19/2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/21

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा (राज)

बनाम

1. श्री इदरीस पत्रावला पुत्र श्री शब्बीर अली निवासी पत्रावला मुस्लिम कोलोनी, बांसवाड़ा 327001 (विक्रेता/मालिक) मैसर्स- मेक्स सुपर मार्केट, पत्रावला मुस्लिम कोलोनी, जिला बांसवाड़ा (राज) फोन नं. 8769786414
2. श्री कांतिलाल जैन पुत्र श्री पन्नालाल निवासी 384 महावीर सदन, शास्त्री मार्ग, राती तलाई, बांसवाड़ा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स:- कांतिलाल सोहन लाल एण्ड ब्रदर्स, मोहन कोलोनी बांसवाड़ा मो.नं. 9414103965
3. श्री भरत कुमार सुखीजा पुत्र श्री गोवर्धन दास सुखीजा निवासी 11/157 मुकता प्रसाद कोलोनी, बिकानेर (राज.) (नोमिनी) मैसर्स- **Bikaji Foods International Limited, H.O. F- 196/197 Bichhwal Industrial Area, Bikanar 334005**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 23-07-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 02-02-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 03-03-2023 को दौराने निरीक्षण 2.20 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स- मेक्स सुपर मार्केट, पत्रावला मुस्लिम कोलोनी, जिला बांसवाड़ा (राज) पर पहुंचा तो वहाँ पर

श्री इदरीस पत्रावला पुत्र श्री शब्बीर अली मिले, उन्होंने बताया कि वह मालिक है। विक्रेता एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)



गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स- मेक्स सुपर मार्केट, पत्रावला मुस्लिम कोलोनी, जिला बांसवाडा (राज) का निरीक्षण करने पर दुकान में बीकानेरी भुजिया (बिकाजी) के 10 पैकेट प्रत्येक 400 ग्राम का रखा था। बीकानेरी भुजिया (बिकाजी) जिसको एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नहीं होने एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए बीकानेरी भुजिया (बिकाजी) के 4 पैकेट प्रत्येक 400 ग्राम वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 600/- रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा बीकानेरी भुजिया (बिकाजी) के 4 पैकेट प्रत्येक 400 ग्राम के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाँसवाडा का कोड क्रमांक **W-1322** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होंने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए./2023/206 दिनांक 29-03-2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 232 दिनांक 15-03-2023 अनुसार विक्रेता



व्याज निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बाँसवाडा (राज.)

से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया बीकानेरी भुजिया (बिकाजी) का नमुना कोड क्रमांक W-1322 Misbrandad food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई, श्री इदरीस पत्रावला पुत्र श्री शब्बीर अली ने नमूने की पुनः जाँच हेतु अपील नहीं की है। फर्म के मालिक श्री इदरीस पत्रावला पुत्र श्री शब्बीर अली को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ बीकानेरी भुजिया (बिकाजी) किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रिम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा, जिस पर विक्रेता ने बीकानेरी भुजिया (बिकाजी) मैसर्स:- कांतिलाल सोहन लाल एण्ड ब्रदर्स, मोहन कोलोनी बांसवाडा का अग्रिम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया। जिस पर मैसर्स:- कांतिलाल सोहन लाल एण्ड ब्रदर्स, मोहन कोलोनी बांसवाडा से खरीद बाबत बिल की सूचना देने के लिए पत्र से सूचित किया। जिस पर विक्रेता ने बीकानेरी भुजिया (बिकाजी) मैसर्स-

Bikaji Foods International Limited, H.O. F- 196/197 Bichhwal Industrial Area, Bikanar का अग्रिम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया। प्रकरण अभियुक्त ने मिसब्रान्डेड बीकानेरी भुजिया (बिकाजी) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 05-02-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणों को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 23-07-2024 को अप्रार्थी सं 1 से 3 स्वयं ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण अपने पर लगे आरोप स्वीकार करते हैं अभियुक्त न्यायालय के आदेश को स्वीकार करने के लिये तैयार है।

आरोपीगणों की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/206 दिनांक 29-03-2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 232 दिनांक 15-03-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया बीकानेरी भुजिया (बिकाजी) का नमुना कोड क्रमांक



न्याय निर्णय अधिकारी
(अति.जिला कलेक्टर)
बांसवाडा (राज.)

W-1322 Misbrandad food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिसब्राण्डेड पाया गया **बीकानेरी भुजिया (बिकाजी)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणों को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री इदरीस पत्रावला पुत्र श्री शब्बीर अली निवासी पत्रावला मुस्लिम कोलोनी, बांसवाडा 327001 (विक्रेता/मालिक) मैसर्स- मेक्स सुपर मार्केट, पत्रावला मुस्लिम कोलोनी, जिला बांसवाडा (राज) को रूपये 2000/- (अक्षरे दो हजार रुपया मात्र), श्री कांतिलाल जैन पुत्र श्री पन्नालाल निवासी 384 महावीर सदन, शास्त्री मार्ग, राती तलाई, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स- कांतिलाल सोहन लाल एण्ड ब्रदर्स, मोहन कोलोनी बांसवाडा को रूपये 3000/- (अक्षरे तीन हजार रुपया मात्र), श्री भरत कुमार सुखीजा पुत्र श्री गोवर्धन दास सुखीजा निवासी 11/157 मुक्ता प्रसाद कोलोनी, बिकानेर (राज.) (नोमिनी) मैसर्स- **Bikaji Foods International Limited, H.O. F-196/197 Bichhwal Industrial Area, Bikanar** को रूपये 25000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रुपया मात्र) दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 23-07-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोखले)
न्याय निर्णय अधिकारी
अति. जिला न्यायालय
(अति. जिला न्यायालय)
बांसवाडा (राज.)